

2017/27

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, न्याय आपके द्वार / केम्प कोर्ट)

नाम पीठासीन अधिकारी - श्री गोपालसिंह (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी सागवाडा
प्रकरण संख्या / 27 / 2017

दायर दि० 22/5/17
फैसल दि० 22/5/17

श्री रमेश देवेंद्र महेश गणेश अनवान
बनाम
कोटा पिता जयशंकर शंकर
(वादी) वि नादिया

भूमिधारी (तहसीलदार)
(प्रतिवादी)

वादी श्री रमेश देवेंद्र महेश गणेश कोटा ने वाद प्रस्तुत कर
मोजा नादिया के खाता नम्बर 131 जमाबन्दी सं० 2070-73
में अंकित स्वयं/पिता का नाम रमेश देवेंद्र महेश गणेश कोटा पिता जयशंकर शंकर
गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है
। प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकृति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर
रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम रमेश देवेंद्र
महेश गणेश कोटा पिता जयशंकर शंकर है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम रमेश देवेंद्र महेश
गणेश कोटा पिता जयशंकर शंकर दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है ।
प्रार्थी द्वारा स्वयं/पिता का सही नाम रमेश देवेंद्र महेश गणेश कोटा पिता
जयशंकर शंकर नादिया होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता
पहचान पत्र एवं पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है ।

अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का वाद
स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार सागवाडा/गलियाकोट को आदेश
दिया जाता है कि मोजा नादिया की जमाबन्दी संवत 2070-73
के खाता संख्या 131 में खातेदार/सहखातेदार का अंकित गलत
नाम रमेश देवेंद्र महेश गणेश कोटा पिता जयशंकर शंकर में संशोधन कर सही नाम
रमेश देवेंद्र महेश गणेश कोटा पिता जयशंकर शंकर दर्ज रेकार्ड किया जावे ।
निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार
हो नम्बर से कम हो ।

उपखण्ड अधिकारी

सागवाडा